

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इव्तदाई

{ऑर्डर 20, क्ल 6-7, जाब्ता दीवानी}  
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

चरणजीत कौर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान  
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 141/2021

निर्णय दिनांक :- 23.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई स्वयं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादिया स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादिया अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 19 एच की जमाबन्दी सम्यत 2074 ता 77 के खाता संख्या 66/75 में चरणजीत कौर पत्नी मलकू सिंह के स्थान पर चरणजीत कौर पत्नी मलकू सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस खाता के शेष अंकन व रकन बदस्तूर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जायें

आज दिनांक 23.11.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री कल्याणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	श्री कल्याणपुर	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 492  
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री कल्याणपुर  
दिनांक: 30/11/21

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री कल्याणपुर